न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–121/2019/223 आर.टी.एक्ट (2019/00121)

1. बालूराम पुत्र लादू जाति गुर्जर निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर। (फौत)
   1/1 मनभर देवी पत्नी स्व0 श्री बालूराम जाति गुर्जर निवासी दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर।

अपीलांट

बनाम

1. विष्णु कुमार जोशी पुत्र सीताराम जोशी जाति ब्राह्मण नि0 ए 454 वैशाली– नगर, नर्सरी सर्किल के पास, जयपुर (राजस्थान)
2. गोपाल पुत्र छोटू (समस्त जातियान
3. बन्ना पुत्र देवकरण (नाम तर्क) गुर्जर निवासीयान
4. सायर देवी पत्नी रामकरण दूदू जिला
5. रामकवरी पत्नी रामजीवण जयपुर
6. श्रीनारायण पुत्र लादू (नाम तर्क) राजस्थान
7. रामू पुत्र लादू
8. रामस्वरूप पुत्र लादू)
9. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, दूदू, जिला जयपुर।
10. सब रजिस्ट्रार, दूदू जिला जयपुर राजस्थान।

रेस्पोडेन्टस

अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 उपखण्ड अधिकारी, दूदू राजस्व वाद संख्या 20/2014

उपस्थितः–

1. श्री बी.एल.शर्मा, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री सुरेन्द्र शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1 .
3. श्री दीपक पारीक, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 04.
4. श्री हरीश साहु, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 07.
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 9, 10.
6. रेस्पांडेंट संख्या 2, 5, 8 अनुपस्थित.
7. रेस्पोडेन्ट संख्या 3, 6 का नाम तर्क.

निर्णय

दिनांकः–24.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने एक वाद बाबत तकासमा व स्थाई निषेधाज्ञा पेश किया वादी ने वाद कारण अंकित कर तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा तथा मौके पर काबिज अनुसार अर्थात संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

से दर्शित आराजी का वादी के काबिज अनुसार तकारसमा का अनुतोष चाहा तथा स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 12.11.2015 को प्रतिवादीगण/अपीलांट की एकतरफा कार्यवाही कर दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित कर दिए। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 से असंतुष्ट होकर अपीलांट यह अपील माननीय न्यायालय के समक्ष पेश की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 2, 5, 8 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. अभिभाषक अपीलांट ने सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अतंर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम पर निवदेन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6447, 6448, 6449, 6467, 6469 कुल किता 5 कुल रकबा 4.13 हैक्टर खसरा नम्बर 4289, 4290 कुल किता 2 रकबा 1.15 हैक्टर ग्राम दूदू जिला जयपुर बावत इकतरफा प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 को की गई है जिसमें प्रार्थी के विरूद्ध दिनांक 28.11.2015 को इकतरफा कार्यवाही के आदेश प्रदान किए गए है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी प्रार्थी की तलवी विधि के आज्ञापक प्रावधानों के अनुरूप जारी नहीं की एवं बिना आदेश न्यायालय के अखबारसाया किया जाकर विधि विरूद्ध इकतरफा निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 जारी की गई है जो कि अवैधानिक एवं विधि की अवज्ञा कर पारित की गई है जिसमें मियाद अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होते है। चूंकि प्रथम बार इकतरफा निर्णय व डिक्री की जानकारी दिनांक 9.3.2019 को अप्रार्थी संख्या 1/वादी द्वारा कब्जा प्राप्त करने एवं इकतरफा निर्णय व डिक्री पारित करवा लेने की धमकी देने पर प्रार्थी द्वारा राजस्व रिकार्ड की जानकारी करने एवं दिनांक 11.3.2019 को निर्णय व डिक्री की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से हुई जो अंदर मियाद प्रस्तुत है। उक्त इकतरफा कार्यवाही कर निर्णय व डिक्री पारित करने की पूर्व में कभी जानकारी नहीं रही है प्रार्थी अनपढ़ काश्तकार व्यक्ति है न्याय हित में दिनांक 30.12.2015 से दिनांक 29.03.2019 तक का समय कण्डोन फरमाया जाए। अतः प्रस्तुत मियाद प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अपील प्रस्तुती में हुई सदभाविक देरी को माफ किया जाकर अपील को गुणावगुण पर निर्णित किए जाने के आदेश प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या 1 द्वारा तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु वाद प्रस्तुत कर संलग्न नजरी नक्शे के अनुरूप एवं कब्जे के अनुरूप तकासमा का अनुतोष चाहा था संलग्न नजरी नक्शे में खसरा नम्बर 6467 में वादी/रेसपोडेंट संख्या 1 का हिस्सा दर्शाया गया था जो कि मुख्य सड़क व रास्ते पर स्थित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारित किया गया व बाई मिट्स एण्ड बाउन्डस पारित किया गया जब की रिकार्ड पर न तो वादी/रेसपोडेंट संख्या 1 के पक्ष में ऐसे दस्तावेजी साक्ष्य या मौखिक साक्ष्य उपलब्ध नहीं थी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अपीलांट की तामिल हेतु समुचित प्रयास नहीं किए गए अपीलांट/प्रतिवादी ग्राम दूदू के मूल निवासी है जिनकी साधारण या डाक द्वारा भी तामिल करवाई जा सकती थी चूंकि अपीलांट कृषि पेशा व्यक्ति है तथा अखबार नहीं पढ़ते है दिनांक 18.11.2015 को अपीलांट की एकतरफा कार्यवाही जरिए अखबार

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

तलबी मानते हुए की गई है जबकि न्यायालय की आदेशिकाओं से यह कही भी प्रमाणित नहीं होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा कभी भी अखबार साया द्वारा प्रतिवादीगण की तलबी के आदेश पारित किए गए थे। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों अनुरूप बिना पक्षकारों के सहमति, समझौते के एकजाई भूमि तकासमा में नहीं दी जा सकती थी हस्तगत प्रकरण में दिनांक 30.12.2015 को प्राथमिक डिक्री में एकजाई भूमि कर बंटवारा करने का कोई निर्णय व डिक्री पारित नहीं किया गया था तत्पश्चात भी पटवारी हल्का द्वारा जो नक्शे कुरेजात तैयार किए गए उसमें रेस्पोडेंट/वादी संख्या 1 को एकजाई भूमि दे दी गई जोकि विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किए जाने योग्य है। प्रथम दृष्टया धारा 53 आर0टी0एक्ट के वाद में अनुतोष हेतु सह–खातेदारान को पक्षकार कायम किया जाना आवश्यक प्रावधान है हस्तगत प्रकरण में खसरा नम्बर 6447 लगायत 6449, 6467, 6469 कुल किता 5 कुल रकबा 6.9300 है0 में खातेदार नूर मोहम्मद पुत्र सलिमुद्दीन कुरेशी हिस्सा 612/27846 एवं गुलाब धर्मपत्नी लादू हिस्सा 233/693 राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जबकि उक्त खातेदार को वाद में पक्षकार संयोजित नहीं किया गया था। बन्ना पुत्र देवकरण को वाद में पक्षकार कायम किया गया है जो कि सहखातेदार नहीं होते हुए भी पक्षकार कायम करते हुए उक्त बन्ना से सहमति प्रदान करवा दी गई है। अधीनस्थ न्यायालय में कभी भी प्रतिवादी/अपीलांट की तामिल विधि एंव सिविल प्रक्रिया संहिता के अनुरूप जारी नहीं करवाई गई है। मौके पर वादी जो की अजनबी क्रेता है का कब्जा कभी भी नहीं रहा था वादी जमीनों के खरीद फरोक्त का काम करता है तथा प्लोटींग काट कर बिना कब्जे के उक्त प्लोटों के बैचान कर कार्य करता है चूंकि वादी/रेस्पोडेंट संख्या 1 ने रास्ते के लगवा मुख्य सड़क के पास अपना तकासमा अवैधानिक रूप से करवा लिया है जिससे अपीलांट का कृषि भूमि में जाने का रास्ता बंद हो गया है जबकि काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सह–खातेदारान के आवागमन व रास्ते का समुचित व्यवस्था हेतु प्रावधान किए गए है। इसलिए भी निर्णय व डिक्री निरस्त किए जाने योग्य है। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में पारित प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 30.12.2015 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

6. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र के जवाब में कथन किया कि अपीलाधीन आदेश की अपीलांट को शुरू से जानकारी थी अपीलांट ने जानबूझ कर मियाद बाहर अपील पेश की है अपीलांट ने मियाद प्रार्थना पत्र में जो कारण अंकित किए जो सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत नहीं होते हैं। अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम प्रार्थना पत्र को खारिज किया जाना न्यायोचित है।

7. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 01 ने दौराने जवाब/बहस में कथन किया कि आराजी खतौनी संख्या 148 के आराजी खसरा नम्बर 6447 रकबा 0.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 6448 रकबा 2.78 हैक्टर, खसरा नम्बर 6449 रकबा 0.59 हैक्टर, खसरा नम्बर 6467 रकबा 2.05 हैक्टर, खसरा नम्बर 6469 रकबा 1.3300 हैक्टर कुल किता 5 रकबा 6.80 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी 1/3 हिस्से का खसरा नम्बर 7603/4289 रकबा 0.49 हैक्टर, खसरा नम्बर 7604/4290 रकबा 0.19 हैक्टर खसरा नम्बर 7602/6449 रकबा 0.33 हैक्टयर कुल किता 3 रकबा 0.

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

81 हैक्टर जिसमें प्रतिवादी 1/6 हिस्से का व नामांतरकरण संख्या 1032 दिनांक 4.8.2014 के द्वारा आराजी खसरा नम्बर 6447,6448,6449,6467,6469 कुल किता 5 कुल रकबा 6.93 हैक्टर हिस्सा 40/91 का काबिज काश्त एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से के वादीगण काबिज काश्त एवं खातेदार काश्तकार हैं। मौके पर वादी एवं प्रतिवादी ने विवादित आराजी का बाहमी बंटवारा कर काबिज काश्त है, जिसमें प्रतिवादी के हिस्से की कब्जे काश्त की आराजी को वाद-पत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शे में लाल रंग से एवं शेष आराजी वादीगण के हिस्से की आराजीयात है। विवादित आराजीयात का राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से तकासमा नहीं होने से वादी एवं प्रतिवादी में विवाद रहने लग गया। प्रतिवादी ने अपने हिस्से की आराजीयात को काफी उन्नत व उपजाऊ बना लिया था जिससे वादी की नियम बदल गई व वर्तमान में जमीनों के भाव में हो रही वृद्धि को देखते हुए भी उसकी नियत में परिवर्तन हुआ व प्रतिवादी को बेदखल करना चाहता है। राजस्व रिकार्ड में तकासमा नहीं होने के कारण प्रतिवादी राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सुविधाओं का लाभ नहीं उठा पा रहा है। ग्राम दूदू तहसील दूदू स्थित विवादित आराजीयात कुल कित 5 कुल रकबा 6.93 है0 में वादी का हिस्सा 40/91 निहित है एवं रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है शेष हिस्से पर प्रतिवादी संख्या 1 लगायत काबिज काश्त है। विवादित आराजीयात वर्तमान में अविभाजित आराजीयात थी इसलिए तहसीलदार, दूदू को तहरीर कुरेताम तैयार करने के आदेश दिये थे जो विधि सम्मत है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा किया गया निर्णय विधि सम्मत है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है, अतः माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांटस निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

8. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि सर्वप्रथम हम प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम का निस्तारण करना उचित समझते है। प्रार्थी द्वारा धारा 5 में किए गए कथन सदभाविक एवं संतोषप्रद प्रतीत होते हैं। न्यायहित में प्रार्थी का धारा 5 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अपील को अंदर मियाद शुमार किया जाना उचित समझते हैं। **अतः प्रार्थी/अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अंतर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम को स्वीकार किया जाता है तथा अपील अंदर मियाद शुमार की जाती है।**

9. हमने उभयपक्ष द्वारा कि गई बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन हमने पाया कि ग्राम दूदू तहसील दूदू जिला जयपुर में अवस्थित वादग्रस्त आराजीयात बाबत वादी/रेस्पोडेंट संख्या 01 के द्वारा वास्ते तकासमा एवं स्थाई निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत किया जिसे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 9.9.2014 को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किए जाने के आदेश प्रदान किए उक्त प्रकरण में आगामी पेशी नियत की गई तत्पश्चात उक्त पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अन्य पेशीयों पर तामिली हेतु नियत की गई तत्पश्चात उक्त पत्रावली दिनांक 23.2.2015 को इंतजार तामीली हेतु नियत कर उक्त पत्रावली बाबत आगामी पेशी दिनांक 25.3.2015 को आगामी पेशी नियत की गई परंतु इतना लिखने पर वादी अभिभाषक को प्रतिवादीगण के तलबी हेतु रजिस्टर्ड एडी तलवाना पेश करने का आदेश प्रदान कर उक्त पत्रावली आगामी पेशी हेतु नियत की गई उक्त पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

कि वादी अभिभाषक द्वारा प्रतिवादीगण के रजिस्टर्ड डाक के संबंध में किसी भी प्रकार से रजिस्टर्ड एडी नोटिस इत्यादि प्रस्तुत नहीं किए और ना ही उक्त पत्रावली बाबत प्रतिवादीगण के किसी भी प्रकार से सम्यक नोटिस तामिल शुदा अथवा अदम तामिल नोटिस पत्रावली पर प्राप्त हुए बिना ही उक्त पत्रावली बाबत अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 26.8.2015 को उक्त पत्रावली बाबत तामिल प्राप्त नहीं इंतजार तामिल दिनांक 30.9.2015 की पेशी नियत कर दी परंतु इतना लिखने पर वादी अभिभाषक के अखबार साया करवाना जाहिर करने पर उक्त पत्रावली बाबत अविधिक रूप से सीधे ही अखबार साया किए जाने के आदेश प्रदान कर दिए जो कि सिविल प्रक्रिया संहिता में निर्धारित आदेश 5 के नियमों के विपरीत थे। विधिनुसार साधारण नोटिस तामिल होने के उपरांत तथा उन नोटिसों पर अदम तामिल की रिपोर्ट होने के उपरांत तथा रजिस्टर्ड एडी नोटिस जारी होने तथा उक्त रजिस्टर्ड एडी नोटिस के अदम तामिली के उपरांत ही अखबार साया के आदेश प्रदान किए जाने चाहिए थे परंतु उक्त पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि ना तो साधारण नोटिस की अदम तामिली की रिपोर्ट और ना ही रजिस्टर्ड एडी की नोटिस जारी अथवा अदम तामिली के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नियमों के विरूद्ध जाकर सीधे ही अखबार साया के आदेश प्रदान कर दिए। इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट/प्रतिवादीगण को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत जाकर उन्हें समुचित रूप से साक्ष्य एवं सुनवाई तथा अपना पक्ष रखने का अवसर प्रदान नहीं कर उक्त आलौच्य आदेश दिनांक 30.12.2015 पारित किया जो कि अपीलांट/प्रतिवादीगएण के हक एवं अधिकारों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य प्रतीत होता है इस प्रकार से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित उक्त आदेश दिनांक 30.120215 निरस्त किया जाकर उक्त पत्रावली पुनः अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे अपीलांट/प्रतिवादीगण को समुचित जवाब, सबूत व साक्ष्य प्रस्तुत कर विधिवत रूप से उक्त पत्रावली बाबत पुनः निर्णय पारित करे।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

10. अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूदू द्वारा प्रकरण संख्या 20/2014 में पारित निर्णय व प्राथमिक डिक्री दिनांक 30.12.2015 को निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे पक्षकार को समुचित साक्ष्य एवं सुनवाई का अवसर देते हुए, पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करें। मूल वाद के निस्तारण तक उभयपक्षों को वादग्रस्त आराजीयात को रहन, बय, गुंतकिल नहीं करने एंव मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने हेतु पाबंद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

11. निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner